संख्या- 102 /2022/ 484 /चार-2022

प्रेषक,

विनय श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 30 मार्च, 2022**

विषय:-आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम में छायांकन हेतु कैमरा एवं सहवर्ती उपकरणों के क्रय के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया आपके पत्र संख्या 5339/सं0नि0-15(97)2021-22 दिनांक 27 मार्च, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन में छायांकन करने हेतु कैमरा एवं सहवर्ती उपकरणों के क्रय हेतु रू0 5,04,235.00 (रूपये पांच लाख चार हजार दो सौ पैंतिस मात्र) की प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. उपरोक्त कैमरा एव सहवर्ती उपकरण नियमानुसार जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जायेंगे। जैम पोर्टल पर उपलब्ध न होने की स्थिति में तीन शासकीय नोडल एजेन्सियों से कोटेशन लेकर परीक्षणोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

2. कैमरा आदि के क्रय के संबंध में समस्त कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा पूर्ण की जायेगी और इसका पूर्ण विवरण रखा जायेगा।

3. वास्तविक व्यय के अनुसार धनराशि का भुगतान करते हुए स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार ही उपयोग किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

5. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

2. उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-19-चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव-42-अन्य व्यय मद से वहन की जायेगी।

भवदीय,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या 102 /2022/ 484 (1) /चार-2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।